


विद्यापरिषद की द्वितीय बैठक  
**कार्यवृत्त**  
**(Minutes)**

ग्रामोदय से राष्ट्रोदय



प्रकाशक  
श्री. जयप्रकाश तिवारी  
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय  
चित्रकूट, जिला-सतना, म०प्र०

**दिनांक 04 अप्रैल 1993**

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय  
चित्रकूट, जिला-सतना, म०प्र०

दिनांक 24-04-1993 को विश्वविद्यालय के विद्या परिसर गूदर मन्दिर, चित्रकूट में सम्पन्न हुयी विद्या परिषद की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थित :-

1. प्रो० राज नारायण कपूर, कुलपति	:	अध्यक्ष
2. डॉ० साधूशरण सिंह सोलंकी, अधिष्ठाता, कृषि	:	सदस्य
3. मेजर लाडलीशरण श्रीवास्तव, प्रोफेसर, कॉमर्स	:	सदस्य
4. श्री अरूप लक्ष्मण किरकिरे, अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	:	सदस्य
5. डॉ० इन्द्रसेन सिंह, निदेशक, प्रसार	:	सदस्य
6. डॉ० हरीसिंह सेंगर, अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	:	सदस्य
7. डॉ० आर० पी० श्रीवास्तव, प्रोफेसर एण्ड हेड, शिक्षा विभाग	:	सदस्य
8. डॉ० ओ०पी०एस० सेंगर, प्रोफेसर, पशु विज्ञान संकाय	:	सदस्य
9. डॉ० रामचन्द्र सिंह, प्रवक्ता, ग्रामीण प्रबन्धन विभाग	:	सदस्य
10. डॉ० श्रीनिवास मिश्रा, रीडर, पर्यावरण विभाग	:	सदस्य
11. डॉ० एन० एस० कुशवाहा, अधिष्ठाता, पशु विज्ञान संकाय	:	सदस्य
12. डॉ० छोटे सिंह राठौर, निदेशक, खेलकूद संस्थान	:	सदस्य
13. डॉ० सुधाकरमणि त्रिपाठी, रीडर, हिन्दी विभाग	:	सदस्य
14. डॉ० जयकान्त मिश्र, अधिष्ठाता, भाषा संकाय	:	सदस्य
15. डॉ० कमला सिंह, प्रोफेसर, उद्यान विज्ञान विभाग	:	सदस्य
16. डॉ० शिवराज सिंह सेंगर, रीडर, शिक्षा विभाग	:	सदस्य
17. डॉ० आर० एन० त्रिपाठी, आयुक्त, उच्च शिक्षा के नामिती	:	सदस्य

2.1 दिनांक 27-01-1993 को चित्रकूट में सम्पन्न हुयी विद्या परिषद की प्रथम बैठक की कार्यवाही का पुष्टीकरण (कार्यावली की मद संख्या - 1)।

विद्या परिषद ने सर्वसम्मति से दिनांक 27-01-1993 को चित्रकूट में सम्पन्न हुई अपनी प्रथम बैठक की कार्यवाही का पुष्टीकरण किया।

2.2 विभिन्न अध्ययन मण्डलों द्वारा संस्तुत पाठ्य-क्रमों का अनुमोदन (कार्यावली की मद संख्या 2, 7, 8, 10, 11)

विद्या परिषद ने विभिन्न विषयों के अध्ययन मण्डलों द्वारा संस्तुत पाठ्यक्रमों पर विचार करने के उपरान्त निम्न पाठ्यक्रमों को सर्वसम्मति से अपनी औपचारिक स्वीकृति प्रदान की। परन्तु यह भी अपेक्षा की कि कुलपति, कुलसचिव एवं अधिष्ठाताओं की एक समिति द्वारा इन पाठ्यक्रमों का विस्तृत परीक्षण कर लिया जाय।

1. संस्कृत

- (1) बी०ए० (बैचलर ऑफ आर्ट्स) के लिए संस्कृत विषय का तीनवर्षीय पाठ्यक्रम।
- (2) बी०ए० (बैचलर ऑफ आर्ट्स) के लिए आधार पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य संस्कृत का पाठ्यक्रम।
- (3) व्यावहारिक संस्कृत का प्रमाण पत्रोपाधि पाठ्य-क्रम।

विद्या परिषद ने संस्कृत विभाग से यह अपेक्षा की कि वह प्राचीन गणित एवं विज्ञान के सम्बन्ध में शिक्षण की सामग्री उपलब्ध कराये।

2. हिन्दी

- (1) बी०ए० (बैचलर ऑफ आर्ट्स) के लिए हिन्दी साहित्य विषय का त्रिवर्षीय पाठ्य-क्रम।
- (2) बी०ए० (बैचलर ऑफ आर्ट्स) के लिए आधार पाठ्य-क्रम के अन्तर्गत सामान्य हिन्दी का पाठ्य-क्रम।
- (3) कार्यालयीय एवं व्यावहारिक हिन्दी डिप्लोमा पाठ्य-क्रम।
- (4) राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रमाण-पत्र पाठ्य-क्रम।

विद्या परिषद ने व्यवस्था दी कि डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम विभाग अपने स्तर पर चला सकता है।

3. अंग्रेजी

- (1) बी०ए० (बैचलर ऑफ आर्ट्स) के लिए अंग्रेजी साहित्य का त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम।
- (2) बी०ए० (बैचलर ऑफ आर्ट्स) के लिए सामान्य अंग्रेजी का पाठ्यक्रम।
- (3) दैनिक अंग्रेजी (एग्ज़ीक्यूटिव इंग्लिश) का प्रमाण-पत्र पाठ्य-क्रम।
- (4) दैनिक अंग्रेजी का डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

4. ललितकला संकाय

- (1) स्नातक, दृश्यकला (बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स) का चार वर्षीय पाठ्यक्रम।

5. पशु विज्ञान संकाय के अन्तर्गत एम०एस०सी० (लाइवस्टॉक प्रोडक्शन एण्ड मैनेजमेंट) का पाठ्यक्रम।

6. बी०एससी० (कृषि) का चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम।

इस पाठ्य-क्रम पर चर्चा के समय डॉ० ओ०पी०एस० सेंगर ने कतिपय आपत्तियाँ उठाईं। चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि उपाधि का नाम बी०एससी० (एजी) ही उपयुक्त रहेगा। विद्या परिषद ने यह भी व्यवस्था दी कि पाठ्यक्रम का विस्तृत विवेचन समिति द्वारा किया जाय।

7. पर्यावरण संस्थान द्वारा एनवायरॉनमेंटल मॉनिटरिंग में एकवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम। विद्या परिषद ने अपेक्षा की कि एम०एससी० पाठ्य-क्रम संशोधित करके उसके समक्ष लाया जाय।

8. आयुर्वेद विभाग - विद्या परिषद ने निम्न पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया :-

- (1) डी0 फार्मा0 (आयुर्वेद) का द्विवर्षीय पाठ्यक्रम।
- (2) एम0डी0 (आयुर्वेद) का तीनवर्षीय पाठ्यक्रम।

9. ग्रामीण पुनर्रचना संकाय के अन्तर्गत द्विवर्षीय एम.आर.डी.एम. पाठ्यक्रम।

10. बी0कॉम (बैचलर ऑफ कॉमर्स) का त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम।

टिप्पणी :- चूंकि ये सभी पाठ्यक्रम सदस्यों को पूर्व में ही उपलब्ध कराये जा चुके हैं अतः इसकी प्रतियाँ संलग्न नहीं की जा रही है।

2.3 पी0एच0डी0 अध्यादेश पर विचार ( मद सं0 3)

विद्या परिषद ने सर्वसम्मति से संलग्न '1' में दिए गये पी0एच0डी0 अध्यादेश का अनुमोदन किया।

2.4 शिक्षा विभाग द्वारा लिए गये निर्णयों पर विचार (मद संख्या 5)

विद्या परिषद ने शिक्षा विभाग द्वारा संस्तुत निम्न प्रस्तावों पर अपनी अनुमति प्रदान की:-

- (1) कि शिक्षा विभाग में बी0एड0 का एक द्विवर्षीय इन्टीग्रेटेड पाठ्य-क्रम प्रारम्भ किया जाय जिसमें :-
  - (क) 20 छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।
  - (ख) 50 प्रतिशत पाठ्य-क्रम सामान्य होगा और शेष 50 प्रतिशत पाठ्यक्रम दो विशिष्टीकृत शाखाओं में विभाजित होगा। इनमें एक शाखा औद्योगिक पाठ्य-क्रम की होगी तथा दूसरी शाखा बहुविकलांगता पाठ्यक्रम से सम्बन्धित होगी।
  - (ग) इस पाठ्य-क्रम के अन्तर्गत कक्षा अध्यापन, अभ्यास शिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण तथा प्रसार कार्यक्रमों का विस्तार सम्पूर्ण दो वर्षों में रहेगा।
  - (घ) इस पाठ्य-क्रम में प्रवेश, एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।
- (2) कि बी0एड0, बी0एड0 (विशेष) एवं एम0एड0 के वर्तमान पाठ्य-क्रम यथावत चलते रहेंगे। विद्या परिषद ने इन पाठ्य-क्रमों को अनुमोदित किया। विद्या परिषद ने यह भी अनुमोदित किया कि बी0एड0 एवं बी0एड0 (विशेष) में क्रमशः 20 एवं 10 सीटें होंगी एवं इन उपाधियों के लिए प्रवेश हेतु केवल उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जायेगा जो किसी शिक्षण संस्था में सेवारत हों।
- (3) कि सायंकालीन बी0एड0 का एक द्विवर्षीय पाठ्य-क्रम चलाया जाय जिसमें विश्वविद्यालय के आस-पास की पाठशालाओं में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रवेश दिया जाय। इस उपाधि के लिए बी0एड0 का सामान्य पाठ्यक्रम ही लागू किया जाये।
- (4) कि एक पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाय। विद्या परिषद ने इसके पाठ्य-क्रम को भी अनुमोदित किया।

2.5 शारीरिक शिक्षा विभाग की स्थापना एवं उसमें विविध उपाधि प्रोग्राम चलाने पर विचार (मद सं. 6)

विद्या परिषद ने निम्न पाठ्य-क्रम प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की :-

- (1) एकवर्षीय बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बी.पी.ई.) पाठ्य-क्रम।
- (2) एकवर्षीय बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स विज्ञान पाठ्य-क्रम।
- (3) एकवर्षीय बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पाठ्य-क्रम।
- (4) द्विवर्षीय मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन पाठ्य-क्रम।
- (5) द्विवर्षीय मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स विज्ञान पाठ्य-क्रम।

शारीरिक शिक्षा एवं खेल संकाय के निदेशक से अपेक्षा की गई कि वे इन पाठ्य-क्रमों का विस्तृत पाठ्य-क्रम अध्ययन बोर्ड से संस्तुत करवा कर विद्या परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

2.6 परीक्षा सम्बन्धी विभिन्न कार्यों के लिए पारिश्रमिक की दरों पर विचार (मद संख्या 9)।

विद्या परिषदने परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए निम्न दरों का अनुमोदन किया :-

- |   |   |   |
|---|---|---|
| (1) प्रश्न पत्र का निर्माण                      | : | रु.100/- प्रति प्रश्न पत्र                        |
| (2) उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन               | : | रु.3.50 प्रति उत्तर पुस्तक परन्तु न्यूनतम रु.75/- |
| (3) प्रायोगिक परीक्षा                           | : | रु.3.50 प्रति परीक्षार्थी परन्तु न्यूनतम रु.100/- |
| (4) मास्टर डिग्री स्तर पर शोध पत्र का मूल्यांकन | : | रु.75/- प्रति शोध पत्र                            |
| (5) उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन          | : | रु.20/- प्रति उत्तर पुस्तक                        |
| (6) परीक्षाफल का सारपीयन                        | : | रु.1/- प्रति परीक्षार्थी                          |
| (7) परीक्षाफल का परितुलन                        | : | रु.00/50 प्रति परीक्षार्थी                        |

टिप्पणी :- क्रमांक (6) एवं (7) का न्यूनतम पारिश्रमिक रु.20/- होगा।

- |                          |   |                    |
|--------------------------|---|--------------------|
| (8) परीक्षा अधीक्षक      | : | रु.30/- प्रति सेशन |
| (9) उप-परीक्षा अधीक्षक   | : | रु.25/- प्रति सेशन |
| (10) कक्ष-निरीक्षक/लिपिक | : | रु.20/- प्रति सेशन |
| (11) चतुर्थ श्रेणी       | : | रु.10/- प्रति सेशन |

2.7 परीक्षा नियमों पर विचार (मद संख्या 12)।

विद्या परिषद ने संलग्नक '2' में दिया गया परीक्षा अध्यादेश पारित किया।

2.8 विज्ञान संकाय के पाठ्य-क्रम समूहों पर विचार (मद संख्या 13)

विद्या परिषद ने इस मद पर अभी विचार करना उचित नहीं समझा।

2.9 वर्ष 1992-93 के एकेडेमिक कलेण्डर पर विचार (मद सं0 14)

विद्या परिषद ने इस मद पर प्रस्ताव सं0 2.2 द्वारा गठित समिति को विचार करने के प्राधिकृत किया।

शारदा प्रसाद

(शारदा प्रसाद तिवारी)

कुलसचिव

प्रशापी./विद्या परिषद-2/625

दिनांक : 25.5.93

प्रतिलिपि: -

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल.
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल.
3. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद, भोपाल.
4. माननीय कुलपति महोदय एवं विद्या परिषद के समस्त सदस्य.